<u>मूल-हिन्दी</u>

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 46

24 फरवरी, 2016 को उत्तर के लिए

tuiFk Hkou dks vukifÙk izek.ki=

46- Jh yYyw flag%

D;k **'kgjh fodkl** ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k fnYyh ds dukWV Iysl esa fLFkr tuiFk Hkou ekdsZV dks dsUnzh; yksd fuekZ.k foHkkx ¼lhñihñMCY;wñMhñ½ }kjk mBk;h xbZ dfri; dfe;ksa dks nwj ugha fd, tkus ds dkj.k vfXu'keu foHkkx }kjk vukifÙk izek.k i= ugha fn;k x;k gS(

¼[k½ ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj mu [kkfe;ksa dk C;kSjk D;k gS ftUgsa dsñyksñfuñfoñ }kjk yEcs le; ls nwj ugha fd;k x;k gS(

¼x½ D;k fo'ks"kKksa us fcuk vukifÙk izek.k i= ds bl Hkou esa nqdkusa pykus dh vuqefr nsus ij fpark O;Dr dh gS(vkSj

¼?k½ ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS\

<u>**उत्तर**</u>

<u>**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**</u>

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जी, हां।

(ख): यह भवन बहुत पुराना है। खामियों को इन भवनों में स्थित विभिन्न मंत्रालयों और केलोनिवि द्वारा दूर किया जाना है। जनपथ बाजार की ओर खुलने वाला एक प्रवेश द्वार एक हॉकर द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है जिसके लिए निदेशक प्रवर्तन, एनडीएमसी, से प्राथमिकता के आधार पर उसे हटाने के लिए कहा गया है। इसकी प्रति उप पुलिस उपायुक्त, संसद मार्ग को भी भेजी गई है। निरीक्षण दिल्ली अग्निशमन द्वारा दिनांक 2.7.2013 और दिनांक 17.7.2015

को किया गया था। अग्निशमन विभाग की टिप्पणियां और उसकी स्थिति **अनुलग्नक -'क'** के रुप में दी गई है।

(ग): ऐसा कोई मुद्दा केलोनिवि द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): उपर्युक्त (ग) को देखते हुए लागू नहीं होता।

****

अग्निशमन विभाग की टिप्पणियां और अनुपालन की स्थिति

अनुलग्नक-'क'

क्रम सं.	टिप्पणी	स्थिति
1.	यह भवन तीन तरफ से फायर टेंडर के लिए पहुंचने योग्य नहीं है। पहुंचने के लिए एक मात्र उपलब्ध रास्ता भी पार्किंग से होकर है। जो कभी-कभी लोगों से भरा रहता है। आग इंजिन तक उपयुक्त मार्ग का प्रावधान किया जायेगा।	जनपथ सड़क की ओर (पूरब की तरफ) पहुंचने की व्यवस्था है। पश्चिम की ओर अर्थात पार्क की तरफ दक्षिणी द्वार से पहुचा जा सकता है। हलांकि उत्तरी ओर (निदेशक प्रवर्तन, एनडीएमसी के साथ) बंद पड़े आपातकालीन द्वार को खोले जाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे है। फायर टेंडर इस भवन के बाहर से कार्य कर सकता है क्योंकि चारदीवारी और भवन के बीच चौड़ाई 6 मीटर से कम है।
2.	पहली से छठी मंजिल में लिफ्ट की लॉबी का अतिक्रमण कैंटीन, कार्यालय बनाकर कर दिया गया है, जल कॉलर आदि कैंटीन में संस्थापित कर किया गया है। एलपीजी सिलेन्डर का उपयोग खाना बनाने के लिए किया गया था। उसे हटा दिया जायेगा।	कैंटीन और एलपीजी सिलेन्डरों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरु की गई है। यह कार्यालय भवन में स्थित विभाग/मंत्रालयों से अवरोध को हटवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
3.	कंपार्टमेंट बनाने अर्थात फायर चेक दरवाजों को संस्थापित किया हुआ नहीं पाया गया। फायर चेक दरवाजों की संस्थापना सीढ़ी के प्रवेश स्थल पर और कोरीडोर में आग/धुंआ को फैलने से रोकने के लिए की जायेगी।	फायर चेक दरवारों के लिए कार्रवाई की जा रही है । हालांकि एक लिफ्ट का लिफ्ट कम्पार्टमेंटेशन कर लिया गया है और अन्य लिफ्टों का कम्पार्टमेंटेशन शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा।
4.	वैकल्पिक निकास द्वार पहली मंजिल पर सीओएफईपीओएसए कार्यालय में नहीं है। वैकल्पिक निकास द्वार सभी कार्यालयों/कंपार्टमेंट में सभी मंजिल पर सुनिश्चित किया जायेगा।	वैकल्पिक निकास द्वार उपलब्ध है क्योंकि इस भवन के दोनों और सीढ़ी उपलब्ध है। तथापि भवन में स्थित विभाग द्वारा अवरोध को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

5.	वैकल्पिक सीढ़ी अवरुद्ध पाया गया। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिसरों को खाली करवाने के उद्देश्य से हर समय सीढ़ी को खुला, बाधाओं से मुक्त रखा जाना चाहिए। दोनों सीढ़ियों को टैरेस तक लाया जायेगा।	अवरोध को हटाने के लिए कार्रवाई भवन में स्थित विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के साथ की जा रही है।
6.	अधिकांश मंजिलों पर आंतरिक हाइड्रेंट/फायर होज केबिनेट कार्यालयों में बंद पाया गया था, उसे आपातकाल की स्थिति में उन्हें उपलब्ध कराने के लिए सीढ़ियों, खुली जगहों के पास संस्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता मंत्रालयों से दिनांक 20.8.2013 और 01.06.2015 के पत्र संख्या ूडब्ल्यू-10 /एई(ई)5/2013-14/172 के माध्यम से अनुरोध किया गया है और दिनांक 17.02.2016 के पत्र संख्या डीबी5/एई(ई)पी/ईडी-8/2015-16/05 के अनुस्मारक के माध्यम से आंतरिक हाईड्रेंट / फायर होज एरिया को बाधा मुक्त करवाने का अनुरोध किया गया है।
7.	चौथी मंजिल पर अग्निशामक कार्यरत नहीं पाया गया था। सभी स्तर पर अग्निशामकों की जांच की जानी चाहिए और उसे बदला जाना चाहिए/उसका रखरखाव किया जाना चाहिए।	चौथी मंजिल पर प्रयोक्ता मंत्रालय और अन्य प्रयोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे अग्निशमण उपकरणों को कार्यरत स्थिति में रखें । सामान्य स्थानों पर अग्निशमण उपकरण की व्यवस्था की गई है और वे कार्यरत स्थिति में है।
8.	मंजिल का स्तर बनाने / निकास मार्ग पर रोशनी की व्यवस्था सभी स्तरों पर की जायेगी।	सभी स्तरों पर स्वयं प्रकाशित निकास संकेत प्रदान की गए है ।
9.	आपातकाल के लिए रोशनी उपलब्ध नहीं पाई गई, उसे सभी स्तरों पर सीढ़ी/गलियारा/निकास मार्ग पर रोशनी की व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध किया जायेगा।	आपातकालीन रोशनी की व्यवस्था सभी स्तरों पर की गई है।
10	विद्युतीय साफ्ट सील किया हुआ नहीं पाया गया।	विद्युतीय साफ्ट सील कर दिया गया है।

*****